तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23-8-11	**एकलपीठ** **श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य** श्री प्रदीप नेहरा वास्ते अपीलार्थीपक्ष श्री हंगामीलाल वास्ते प्रत्यर्थीपक्ष **आदेश** धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 11–07–2011 विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील ज्ञापन के अनुसार तथ्यों का सारांश इस प्रकार है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 8 (2) के तहत एक प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी, हनूमानगढ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोण्डेण्ट/प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चक 18 एनडीआर के पत्थर संख्या 146/337 के मुरब्बा 23 के किला नं. 1, 2, 6 से 1, 17 से 25 तथा मुरब्बा नं. 22 में किला नं. 14, 16, 25 में कुल मिला कर 5.707 हेक्टेयर खातदारी की भूमि है। उक्त खातेदारी भूमि के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में पक्की सड़क व सेमनाला बनने से पूर्व प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत था। किन्तु पक्की सड़क व सेमनाला बनने के बाद यह रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा और अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अतः इसे निरस्त कर दिया जावे। उपखण्ड अधिकारी हनूमानगढ द्वारा प्रभावित काश्तकारों को सुने बिना ही दिनांक 20–03–2008 को उक्त रास्ते को निरस्त करने का आदेश कर दिया। अपीलान्ट को इस आदेश की जानकारी होने पर धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी हनूमानगढ के न्यायालय में अपील व धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुन कर आदेश दिनांक 11–07–2011 द्वारा अपील खारिज कर दी गयी। अतः यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा अपींल ज्ञापन में जो आधार वर्णित किये हैं, उनका सारांश इस प्रकार है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत व विधि विरूद्ध है क्योंकि उक्त आदेश प्रभावित काश्तकारों को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जारी किये गये हैं, कि अपीलान्ट व सहकाश्तकारान की चक 18 एनडीआर के पत्थर संख्या 145/336, 145/337, 146/338, 145/338, 141/341, और 144/342 के विभिन्न किलों में	

23/8/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो हुक्म की जार में जारी हुए
23/8/11	भूमि होने से उक्त रास्ते से सभी सहकाश्तकार आवागमन करते हैं। अपीलान्टगण की पत्थर नं. 145/337 में किला नं. 17, 18, 22, 23 व 24 में खातेदारी भूमि है और उक्त भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं होकर एकमात्र वही रास्ता है जिसे बन्द करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने के कारण धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता के तहत अपील प्रस्तुत करने का हकदार है किन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलान्ट के उक्त हक को नहीं माना है जो कि गलत है। यह कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 8 (2) के तहत नवीन रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु स्वीकृत रास्ते को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया। अतः अपील प्रस्तुत कर अनुरोध है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 11-07-2011 और उपखण्ड अधिकारी हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 20-03-2008 को निरस्त किया जावे। अपील के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि ताफैसला अपील मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनायी रखी जावे। रेस्पोण्डेण्ट्स की तरफ से केवियट प्रस्तुत होने के कारण एडमिशन व स्थगन के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। अपीलान्ट की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप नेहरा ने RBJ (13) 2006 page 579 समर्थन प्राप्त करते हुये तर्क किया कि राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 8 (2) के प्रावधानों के तहत उपनिवेशन क्षेत्र में वाटर कोर्सेज बनाने के लिये, उनमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिये अथवा रास्ता कायम करने के लिये प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत रास्ते को ही बन्द कर दिया जावे। इसके अलावा विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20-03-2008 जारी करने से पहले अड़ौस पड़ौस के प्रभावित काश्तकारों को सनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। अतः न्यायहित में यह आवश्यक है कि अपील को सनवाई हेतु स्वीकार किया जावे और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का रिकॉर्ड तलब किया जावे, ताकि अपील की सुनवाई की जा कर समुचित निर्णय किया जा सके। इस बीच मौके व रिकॉर्ड में यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश भी आवश्यक हैं अन्यथा उक्त रास्ते की भूमि अगर किसी को छोटी पट्टी के रूप में आवंटित कर दी जावेगी तो अपील प्रस्तुत करने का प्रयोजन ही निष्फल हो जावेगा।	

नम्बर व ता. अहकाम जो हुक्म की जारी में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	जवाबी बहस में रेस्पोएडेण्ट्स के विद्वान अभिभाषक श्री हंगामीलाल का तर्क है कि अपीलान्ट के खेत उक्त रास्ते से चिपते हुये नहीं हैं और उनके लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जिस रास्ते को बन्द किये जाने का आदेश दिया गया है, उसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि सभी काश्तकारों को पक्की सड़क व रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध है। न्यायिक दृष्टान्त 2010 RRD page 794 से समर्थन लेते हुये तर्क किया गया कि जब स्वीकृत रास्ता चालू नहीं हो और काश्तकारों को आवागमन हेतु विकल्प उपलब्ध हो तो रास्ते की प्रविष्टि को रिकॉर्ड से निरस्त किया जा सकता है और उक्त भूमि पात्र काश्तकारों को आवंटित की जा सकती है। अतः अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है और सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपील मीमो में वर्णित तथ्यों, उपखण्ड अधिकारी हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 20–03–2008, और राजस्व अपील प्राधिकारी हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 11–07–2011 का अध्ययन व मनन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर विचार किया गया और प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान सहित अवलोकन किया गया। प्रकरण में विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में स्वीकृत व रिकॉर्डेड रास्ते को निरस्त करने का आदेश दिया है। स्वीकृत व रिकॉर्डेड रास्ता सार्वजनिक हित का बिन्दु है और उक्त रास्ते का उपयोग करने वाले तथा अडौस–पड़ौस के काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसे रास्ते को बन्द किये जाने का आदेश दिया जाना प्रथम दृष्टया उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे प्रकरणों पर प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किये बिना व तथ्यों तथा विधि सम्बन्धी बिन्दुओं पर विस्तृत सुनवाई किये बिना निर्णय नहीं हो सकता है। अतः हमारी राय में हस्तगत प्रकरण में सारभूत तथ्य और विधिक बिन्दु निहित होने से यह अपील सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य है। सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां भी तलब की जाना आवश्यक है और जिस रास्ते को निरस्त करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी हनूमानगढ द्वारा पारित किया गया है, उक्त रास्ते की मौके की व रिकॉर्ड की स्थिति भी यथावत बनाये रखना आवश्यक है, ताकि प्रकरण में और कानूनी पेचीदगियां उत्पन्न नहीं हों। परिणामतः हस्तगत अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी	

23/8/11

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	हनूमानगढ के प्रकरण संख्या 70/07 निर्णीत दिनांक 20-03-2008 और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनूमानगढ की अपील संख्या 1/2009/75 एलआरएक्ट निर्णीत दिनांक 11-07-2011 की पत्रावलियां तलब हों। उपखण्ड अधिकारी हनूमनगढ के निर्णय दिनांक 20-03-2008 व राजस्व अपील अधिकारी, हनूमानगढ के निर्णय दिनांक 11-07-2011 की पालना को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया जाता है। मौके व रिकॉर्ड की स्थिति आगामी तारीख पेशी तक यथावत बनायी रखी जावे। पत्रावली आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27-9-11 को प्रस्तुत हो। 23/8/11 (मूलचन्द मीणा) सदस्य	Noted 23/8/11